राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 68/2019

रामधन मीना **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. बाबूलाल मीना, सहायक अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.01.2019
आदेश की दिनांक : 12.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बीबीएल शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 10.11.1980 (अनुलग्नक–1) के द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर हुई। जहां अपीलार्थी ने दिनांक 10.11.1980 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी संख्या–2 का चयन वर्ष 1980 में आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.12.1981 (अनुलग्नक–2) द्वारा नियुक्त किया गया। प्रत्यर्थी संख्या–2 ने दिनांक 05.12.1981 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग ने कनिष्ठ लिपिक की वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 148 पर तथा प्रत्यर्थी संख्या–2 का नाम क्रम संख्या 171 बी पर अंकित किया गया (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या–2 से वरिष्ठ है तथा प्रत्यर्थी संख्या–2 को वर्ष 2015–16 की रिक्ति के विरूद्ध आदेश दिनांक 28.12.2015 (अनुलग्नक–4) द्वारा सहायक/अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 20.12.2016 (अनुलग्नक–5) के द्वारा वर्ष 2016–17 की रिक्ति के विरूद्ध सहायक/अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी का कहना है कि वह वर्ष 1980 में नियुक्त हुआ था और प्रत्यर्थी संख्या–2 की नियुक्ति वर्ष 1981 में हुई थी तथा अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या–2 से वरिष्ठ है परन्तु प्रत्यर्थी संख्या–2 को अपीलार्थी से पहले पदोन्नत किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.12.2018 (अनुलग्नक–6) द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति करने के उद्देश्य से

सहायक/अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद की अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या–2 का नाम क्रम संख्या 01 पर तथा अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 10 पर रखा गया। अपीलार्थी को जब यह ज्ञात हुआ कि उसे सहायक/अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की वरिष्ठता सूची में प्रत्यर्थी संख्या–2 से कनिष्ठ बताया गया है, तो उसने आपत्ति प्रस्तुत की और प्रार्थना की कि वह प्रत्यर्थी संख्या–2 से वरिष्ठ है। इस प्रकार अन्तिम वरिष्ठता सूची में सुधार करने का अनुरोध किया (अनुलग्नक–7)। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 04.01.2019 (अनुलग्नक–8) द्वारा सहायक/अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के संवर्ग में अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या–2 का नाम क्रम संख्या–2 पर रखा गया, जबकि अपीलार्थी का नाम नहीं बदला गया, उसका नाम क्रम संख्या–10 पर ही रखा गया। अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या–2 से वरिष्ठ है परन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विचार नहीं किया गया।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर कहा कि प्रत्यर्थी संख्या–02 की शैक्षणिक योग्यता स्नात्तक होने से विभागीय नियमों के तहत कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर दी जाने वाली पदोन्नति में दो वर्ष की अनुभव छूट प्रदान किये जाने से प्रत्यर्थी संख्या–02 की पदोन्नति 1984–85 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ लिपिक पद पर की गई, जबकि अपीलार्थी की शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक होने से विभागीय नियमों के तहत पांच वर्ष के कार्य अनुभव पूर्ण होने के उपरान्त वरिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति वर्ष 1986–87 के विरूद्ध की गई, जो नियमानुसार नियत किया गया है। अतः अपीलार्थी की तुलना प्रत्यर्थी संख्या–02 से नहीं की जा सकती। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

प्रकरण में विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्डों का अवलोकन कर मनन किया गया।

विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क यह है कि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 10.11.1980 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर हुई थी और प्रत्यर्थी संख्या–2 बाबूलाल मीणा की नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर दिनांक 05.11.1981 को हुई। इस तरह से प्रत्यर्थी संख्या–02 बाबूलाल मीणा अपीलार्थी रामधन मीणा से कनिष्ठ है परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 148 पर है, जबकि प्रत्यर्थी संख्या–02 का नाम क्रम संख्या 171 बी पर अंकित है। इससे संबंधित रिकॉर्ड अपील के साथ अनुलग्नक–3 पर उपलब्ध है। अपील में अपीलार्थी का मुख्य कथन यह है कि प्रत्यर्थी संख्या–2 अपीलार्थी से कनिष्ठ होने के बावजूद उसे अपीलार्थी से पहले पदोन्नति दी गई है, जबकि अपीलार्थी की नियुक्ति प्रत्यर्थी संख्या–02 से पहले होने और विभाग द्वारा जारी कनिष्ठ लिपिक की वरिष्ठता सूची में उसका नाम ऊपर होने के कारण उससे पहले वरिष्ठता पदोन्नति पर अपीलार्थी को वरिष्ठता मिलनी चाहिए।

प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन है कि कनिष्ठ लिपिक से उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु स्नात्तक योग्यताधारी कार्मिकों को तीन वर्ष का अनुभव और जो कार्मिक स्नात्तक की डिग्री धारित नहीं करते है, उनको पांच वर्ष का अनुभव अपेक्षित है और विभाग द्वारा कनिष्ठ लिपिक से उच्चतर पद पर प्रत्यर्थी संख्या–2 की की गई पदोन्नति नियमानुसार है। The Rajasthan Subordinate Offices Ministrial Services Rules 1999 के Schedule- 1 में कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक से पदोन्नति के संबंध में नियमानुसार प्रावधान किया है।

Sno	Name of Post	Method of recruitment with percentage		Qualification & experience for direct recruitment	Post from which promotion is to be made	Qualification & experience for promotion	Constitution of committee		Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8		9
9.	Upper Division Clerk	-	100	-	Lower Division Clerk	Graduate of a University established by law in India with 3 years experience on the post mentioned in Column No.6 OR Secondary of a recognised Board with 5 years experience on the post mentioned in Column No. 6	1. Appointing Authority Concerned. 2. Two Senior Deputy Head of Department concerned or next senior most officers concerned of the Department, where Deputy Head of Department does not exist.	Chairman Member	- -

उक्त नियमों के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्नात्तक योग्यताधारी कार्मिक को तीन वर्ष का न्यूनतम अनुभव धारित करने और उच्च माध्यमिक की योग्यता धारित करने वाले कार्मिकों को पांच वर्ष का अनुभव प्राप्त कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर करने का प्रावधान है। उपलब्ध रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी स्नात्तक योग्यता धारित नहीं करता है और प्रत्यर्थी संख्या–2 स्नात्तक की योग्यता धारित करता है। अतः अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या–2 की नियुक्ति तिथि और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में कोई विवाद नहीं है उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत अपीलार्थी पांच वर्ष का अनुभव प्राप्त करने पर उच्चतर पद पर पदोन्नति का हकदार होता है। प्रत्यर्थी संख्या–2 का कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति वर्ष 1984–85 की रिक्तियों के विरूद्ध की गई है। प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी वर्ष 1984–85 में कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक की पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव धारित करता है। उक्त सेवा नियमों के अनुसार चूंकि अपीलार्थी स्नात्तक की योग्यता धारित नहीं करता है। अतः पांच वर्ष का अनुभव धारित करने पर भी कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र होता है। अपीलार्थी की नियुक्ति तिथि 10.11.1980 है। अतः नियमों के अनुसार आयु की गणना 01.04.1981 से की जायेगी और पांच वर्ष का अनुभव 01.04.1986 को होता है। इस तरह अपीलार्थी वर्ष 1986–87 की रिक्तियों के विरूद्ध कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति का हकदार होता है। इस कारण वर्ष 1984–85 की रिक्तियों के विरूद्ध अपीलार्थी की पदोन्नति पर विचार किया जाना संभव नहीं है। चूंकि

कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक की पदोन्नति प्रत्यर्थी संख्या–2 की अपीलार्थी की तुलना में पहले हो गई है। लिहाजा आगे की पदोन्नति हेतु जारी की जाने वाली वरिष्ठता सूचियों में अपीलार्थी की अपेक्षा प्रत्यर्थी संख्या–2 वरिष्ठ सूची में रहेगा। उस दशा में पदोन्नति तिथि के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है परन्तु संबंधित पद पर पदोन्नति वर्ष के आधार पर निर्धारित की जाती है। अतः वरिष्ठ लिपिक से और उससे उच्चतर पदों पर यदि प्रत्यर्थी संख्या–2 की पदोन्नति अपीलार्थी की तुलना में पहले हुई है तो संबंधित पद हेतु जारी वरिष्ठता सूची में प्रत्यर्थी संख्या–2 का नाम उच्चतर क्रमांक पर होना नियमानुसार सही है। साथ ही अपीलार्थी ने अपनी अपील में यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रत्यर्थी संख्या–2 की पदोन्नति से अपना हक किस प्रकार प्रभावित होता है।

अपीलार्थी द्वारा अपील में निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान द्वारा विभाग में कार्यरत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की दिनांक 04.01.2018 के संदर्भ में जारी स्थाई वरिष्ठता सूची को चुनौती देते हुए अपास्त करने का अनुरोध किया गया है। इस वरिष्ठता सूची में प्रत्यर्थी संख्या–2 बाबूलाल मीणा का नाम वरिष्ठता क्रमांक 02 पर अंकित है और अपीलार्थी रामधन मीणा का नाम वरिष्ठता क्रमांक–10 पर अंकित है। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों की वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता का निर्धारण इस पद पर संबंधित कार्मिकों के पदोन्नति वर्ष से निर्धारित किया गया है। उपलब्ध सूची से स्पष्ट है कि बाबूलाल मीणा की वर्ष 2007–08 में इस पद पर चयन वर्ष 2015–16 और रामधन मीणा का चयन वर्ष 2016–17 अंकित है। उक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपीलार्थी अपना प्रकरण साबित करने में असफल रहा है। उसके साथ किसी नियम विरूद्ध कार्यवाही से नुकसान हुआ है। इस संबंध में कुछ भी साबित नहीं कर पाया है। लिहाजा अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)